रजिस्टर्ड नं0 एल0 33-एस0 एम0 13-14/98.




# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 25 सितम्बर, 1998/3 आश्विन, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी एवं राजभाषा खण्ड

अधिसूचना

शिमला-2, 25 सितम्बर, 1998

सं0 एल0एल0 आर0(राजभाषा)बी0(16)-28/98.—"दि हिमाचल प्रदेश पैसैन्जर ऐन्ड गुडज टैक्सेशन (अमैंडमेंट ऐन्ड वैलिडेशन) ऐक्ट, 1997 (1997 का 19)" के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश की

3457-राजपत्र/98-25-9-98—1,261. (3499) मूल्य : 1 रुपया ।

राज्यपाल के तारीख 9 सितम्बर, 1998 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है । और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि) ।

# हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1997

(1997 का 19)

(राज्यपाल द्वारा 18-8-1997 को यथा अनुमत)

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का 15) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1997 है ।

(2) यह 14 अगस्त, 1997 को प्रवृत्त होगा तथा प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

उद्देशिका का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की उद्देशिका में शब्द "कुछ" का लोप किया जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) विद्यमान खण्डों (कक), (ग), (च) और (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड (कक), (ग), (च), (चक) और (ज) रखे जाएंगे, अर्थात् —

"(कक)" "व्यवसाय" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) मोटर गाड़ियों द्वारा यात्रियों और माल के वहन का व्यवसाय ;

(ii) कोई व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण, या व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण के प्रकार का कोई प्रोद्यम या समुत्थान, चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम, या समुत्थान अभिलाभ या लाभ हेतु चलाया गया है या नहीं, और चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान से कोई अभिलाभ या लाभ प्रोद्भूत होता है या नहीं ; और

(iii) ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान से सम्बन्धित या आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई संव्यवहार ;

(ग) "किराया" या "भाड़ा" के अन्तर्गत मोटर यान अधिनियम के अधीन किराए पर ली गई मोटर यान, मोटर गाड़ियों, उनमें यात्रियों के वहन और माल के परिवहन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत की गई

राशियां हैं और सीजन टिकट के लिए संदेय राशि इसमें सम्मिलित है, तथा जहां ऐसा किराया या भाड़ा नियत नहीं किया गया है, वहां इसके अन्तर्गत अनुसूची-I में यथा विनिर्दिष्ट राशि भी है ;

(च) "मोटरगाड़ी" से कोई यन्त्रनोदित परिवहन गाड़ी अभिप्रेत है जो सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूल बना ली गई है चाहे उसमें नोदन शक्ति बाह्य स्रोत या आन्तरिक स्रोत से अथवा ट्रेलर से, जब यह किसी ऐसी गाड़ी से संलग्न है, संचारित की जाती है और निम्नलिखित इसके अन्तर्गत हैं --

(i) मोटर यान अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में भाड़े या पारिश्रमिक के लिए यात्रियों या सामान या दोनों के वहन के लिए उपयोग की जाने वाली मोटर गाड़ी ; और

(ii) मैक्सी कैब, जो छह से अधिक यात्रियों, किन्तु बारह से अनधिक यात्रियों के वहन के लिए निर्मित या अनुकूलित है ;

(च क) "मोटर यान अधिनियम" से, यथास्थिति, मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) और मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है ;

(ज) "यात्री" से मोटर गाड़ी में यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, किन्तु ड्राइवर या कण्डक्टर, या गाड़ी के सम्बन्ध में अपने कर्तव्यों के सद्भावपूर्वक निर्वहन में यात्रा करने वाला गाड़ी के स्वामी का कोई कर्मचारी, इसके अन्तर्गत नहीं है ;

(झ) विद्यमान खण्ड (ज ज), को खण्ड (ज क) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (ज ख) और (ज ग) अन्त स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् ---

"(ज ख)" प्राइवेट सेवा गाड़ी से ऐसी गाड़ी अभिप्रेत है जो छः से अधिक व्यक्तियों को जिसके अन्तर्गत ड्राइवर नहीं है, वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है और जो साधारणतया ऐसी गाड़ी के स्वामी द्वारा या उस की ओर से, व्यक्तियों के वहन के प्रयोजन के लिए या उसके व्यापार या व्यवसाय के सम्बन्ध में उपयोग की जाती है ;

(ज ग) "सड़क" से ऐसा पथ अभिप्रेत है जो संचार साधन के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने अथवा परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता है ।

(ग) खण्ड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड (ट क) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ट क)" "परिवहन गाड़ी" से सार्वजनिक सेवा गाड़ी, माल वाहन, शिक्षा संस्था बस या प्राइवेट सेवा गाड़ी अभिप्रेत है ;"

धारा 3 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 में,--

(क) उप-धारा (1) में विद्यमान स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा; और

(ख) उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा "(1.क) अन्त: स्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"(1.क) उप-धारा (1) मे किसी बात के होते हुए भी, जब मोटर गाड़ी द्वारा यात्रियों का वहन और सामान का परिवहन किया जाता है और --

(i) कोई किराया या भाड़ा, चाहे प्रभार्य है या नहीं, प्रभारित नहीं किया गया है, या

(ii) किराया या भाड़ा रियायती दर पर प्रभारित किया गया है,

तब उप-धारा (1) के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा यथा निदेशित दरों पर कर उद्गृहीत, प्रभारित और संदत्त किया जाएगा मानो, राज्य में विभिन्न वर्गों की सड़कों और मोटर गाड़ियों के लिए, मोटर यान अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत किरायों, और भाड़ों पर, या इस अधिनियम की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट विभिन्न वर्गों की सड़कों और मोटर गाड़ियों के लिए किरायों और भाड़ों पर, जो भी उच्चतर हो, यात्रियों का वहन किया गया था या सामान का परिवहन किया गया था :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा अनुसूची-I का संशोधन कर सकेगी और तदनुसार अनुसूची-I संशोधित हो जाएगी :

परन्तु यह और कि अनुसूची-I को संशोधित करने वाली प्रत्येक अधिसूचना विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी।"

धारा 3-क का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 3-क में, शब्द "मंजिली (Stage)/ठेका गाड़ी (Contract Carriage)" के स्थान पर, शब्द "माल वाहन/गाड़ी को अपवर्जित करके, परिवहन गाड़ी", प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा 3-ख और धारा 21-क का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 3-ख और धारा 21-क में जहां भी शब्द "अनुसूची" आया है उसके स्थान पर शब्द "अनुसूची-2" रखा जाएगा।

अनुसूची-I का अन्त:-स्थापन।

7. मूल अधिनियम की विद्यमान "अनुसूची" को "अनुसूची-2" के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और ऐसी पुन: संख्यांकित "अनुसूची-2" से पूर्व निम्न "अनुसूची-1" अन्त: स्थापित की जाएगी, अर्थात: --

"अनुसूची-I

(क) यात्री मोटर गाड़ियां :

| क्रम सं0 | काला-वधि | सड़क का वर्ग | मोटर गाड़ियों का वर्ग और प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किराया (पैसों में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | वहन क्षमता सहित सामान्य बस | | डीलक्स बसें | सैमीडीलक्स बसें | रात्रि/एक्स स बस सेवाएं |
| | | | तीस से अधिक यात्रियों की | तीस यात्रियों तक | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 23-12-55 से 9-9-1982 तक । | (क) मैदानी सड़कें (पक्की) | 4.5 | 12.1 | स्तम्भ सं0 4 में यथा विनिर्दिष्ट किराए का 80 प्रतिशत अधिक | 4.5 | स्तम्भ सं0 4 में यथा विनिर्दिष्ट किराए का 25 प्रतिशत अधिक |
| | | (ख) मैदानी सड़कें (कच्ची) | 5.5 | 12.1 | –यथोपरि– | 5.5 | –यथोपरि– |
| | | (ग) पहाड़ी सड़कें (पक्की और कच्ची) (कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों की पक्की और कच्ची सड़कों के सिवाए) | 8.45 | 12.1 | –यथोपरि– | 8.45 | –यथोपरि– |
| | | (घ) कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पिति जिलों की पक्की और कच्ची सड़कें | 9.66 | 12.1 | –यथोपरि– | 9.66 | – यथोपरि– |
| 2. | 10-9-1982 से 19-4-85 | (क) मैदानी सड़कें | 7.00 | 15.2 | –यथोपरि– | 7.00 | –यथोपरि– |
| | | (ख) पहाड़ी सड़कें | 12.00 | 15.2 | –यथोपरि– | 7.00 | –यथोपरि– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 20-4-85 से 3-1-91 | (क) मैदानी सड़कें | 9.00 | 20.00 | स्तम्भ सं0 4 में यथा विनिर्दिष्ट किराए का 100 प्रतिशत अधिक | स्तम्भ सं0 4 में यथा विनिर्दिष्ट किराए का 50 प्रतिशत अधिक | स्तम्भ सं0 4 में यथा विनिर्दिष्ट किराए का 40 प्रतिशत अधिक |
| | | (ख) पहाड़ी सड़क | 14.00 | 20.00 | —यथोपरि— | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 4. | 4-1-91 से 20-1-1992 | (क) मैदानी सड़कें | 10.35 | 17.04 | —यथोपरि— | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| | | (ख) पहाड़ी सड़कें | 16.10 | 17.04 | —यथोपरि— | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 5. | 21 1-92 से 14-10-94 | (क) मैदानी सड़कें | 12.94 | 21.30 | —यथोपरि— | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| | | (ख) पहाड़ी सड़कें | 20.13 | 21.30 | —यथोपरि— | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 6. | 15-10-94 से 7-7-96 | (क) मैदानी सड़कें | 16.17 | 16.17 | —यथोपरि— | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| | | (ख) पहाड़ी सड़कें | 25.16 | 25.16 | —यथोपरि— | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 7 | 8-7-96 से आगे | (क) मैदानी सड़कें | 18.60 | 18.60 | —यथोपरि— | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| | | (ख) पहाड़ी सड़कें | 28.93 | 28.93 | —यथोपरि— | —यथोपरि— | —यथोपरि— |

स्पष्टीकरण.—"सामान्य बस" से ऐसी बस अभिप्रेत है जो "डीलक्स बस", "सैमी डीलक्स बस", या "रात्रि/एक्सप्रैस बस सेवा" नहीं है।

(ख) सामान वहन गाड़ी (Goods vehicle/carriages) :

| कालावधि | सामान की किस्म | प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल पर भाड़ा (पैसों में) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मैदानी सड़कें | | पहाड़ी सड़कें | | लाहौल और स्पिति जिले में सड़कें | |
| | | पक्की | कच्ची | पक्की | कच्ची | पक्की | कच्ची |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23-12-55 से 6-2-87 | (क) हल्का सामान | 5.75 | 7.19 | 7.19 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |
| | (ख) भारी सामान | 7.19 | 6.62 | 10.06 | 11.50 | 12.65 | 12.65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-2-87 से | (क) हल्का सामान | 8.05 | 10.07 | 10.07 | 12.88 | 12.88 | 12.88 |
| 31-7-1991 | (ख) भारी सामान | 10.07 | 12.07 | 14.08 | 16.10 | 17.71 | 17.71 |
| 1-8-91 से | (क) हल्का सामान | 14.00 | 17.00 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 24.00 |
| 15-10-1992 | (ख) भारी सामान | 16.00 | 19.00 | 21.00 | 23.00 | 28.00 | 28.00 |
| 16-10-92 से | (क) हल्का सामान | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 |
| 27-10-96 | (ख) भारी सामान | 17.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 29.00 | 29.00 |
| 28-10-96 से आगे | (क) हल्का सामान | 18.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 30.00 | 30.00 |
| | (ख) भारी सामान | 20.00 | 24.00 | 26.00 | 29.00 | 31.00 | 31.00" |

कतिपय उपबन्धों का भूतलक्षी प्रभाव से लागू होना।

8. इस अधिनियम की धारा 2,3,4,5,6 और 7 द्वारा मूल अधिनियम में किए गए संशोधन मूल अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से किए गए और सदैव किए गए समझे जाएंगे।

निर्धारण आदि का विधिमान्यकरण।

9. (1) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, सड़क द्वारा वहन किए गए यात्रियों और सामान पर किसी कर का (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त कर" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या उस अधिनियम के प्रारम्भ से या पश्चात् किसी समय, किन्तु हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1997 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "यह अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) किया गया या किया गया तात्पर्यित कोई निर्धारण, उद्ग्रहण, प्रभार या संदाय या की गई कार्रवाई या कोई बात विधिमान्य और प्रभावी समझी जाएगी, मानो ऐसा निर्धारण उद्ग्रहण, प्रभार, संदाय, संग्रहण या कार्रवाई या बात इस अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया या की गई हो और तदनुसार —

(i) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्धारित, उद्गृहीत, प्रभारित, संदत्त, या संगृहीत अथवा, निर्धारित, उद्गृहीत प्रभारित, संदत्त या संगृहीत, तात्पर्यित उक्त कर, विधि के अनुसार निर्धारित, उद्गृहीत, प्रभारित, संदत्त या संगृहीत किया गया और सदैव किया गया समझा जाएगा ;

(ii) उपर्युक्त किसी प्रकार के कर के बारे में जो संगृहीत किया गया है, किसी न्यायालय या किसी प्राधिकरण के समक्ष प्रतिदाय के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां नहीं होंगी या जारी नहीं रखी जाएंगी, और किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रतिदाय को निदेशित करने वाली डिक्री या आदेश का प्रवर्तन नहीं किया जाएगा ;

(iii) उन सभी राशियों की वसूली, यदि कोई हों, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी, जो तदधीन ऐसे उक्त कर के रूप में संगृहीत की गई होती यदि यह अधिनियम सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होता; और

(iv) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत बनाया गया कोई नियम या आदेश, जारी की गई अधिसूचना या दिया गया कोई निदेश, मंजूर की गई छूट या अधिरोपित शास्ति भी है) सदैव इस अधिनियम के अनुसार विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि —

(क) उप-धारा (1) की किसी बात का —

(i) उक्त कर के निर्धारण, उद्ग्रहण, प्रभार, संदाय या संग्रहण को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रश्नगत करने से ; या

(ii) उस द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय राशि से अधिक संदत्त किए गए उक्त कर के प्रतिदाय के दावे से;

किसी व्यक्ति को निवारित करने के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा ; और

(ख) इस अधिनियम से पूर्व, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य या त्रुटि, अपराध के रूप में दण्डनीय नहीं होगी जो इस प्रकार दण्डनीय न होती, यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता।

1997 के अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्तियां।

10. (1) हिमाचल प्रदेश यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1997 (1997 का 4) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त थ जब ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी।

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।